निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2021 को प्रातः 11.30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पी0एम0 स्वनिधि एवं एन0यू0एल0एम0 की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के परियोजना अधिकारी एवं सी0एल0टी0सी0 के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
3. ओ0के0 सिंह, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
4. मौ0 तैय्यब, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
5. डा0 कमल कुमार, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
6. सिमी औमेर, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
7. विनोद कुमार कनौजिया, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
8. मनीष श्रीवास्तव, हाऊसिंग फाईनेन्स पॉलिसी स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
9. विनय सिंह, म्यूनिसिपल इंजीनियर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
10. कुनाल कटारिया, अरबन प्लानर, एस0एल0टी0सी0, सूडा।
11. संतोष विश्वकर्मा, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
12. रविश सिंह, जी0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
13. मानस द्विवेदी, एमआईएस स्पेशलिस्ट, सूडा।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रगति की समीक्षा की गयी, जिसमें अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत–प्रतिशत समूहों का गठन दिसम्बर, 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाये, जिससे मार्च, 2022 तक समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया जा सके।
2. स्वयं सहायता समूहों को पैसा पोर्टल के माध्यम से रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि पी0एम0ए0वाई0 की भांति रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त हेतु प्रमाण पत्र एवं जिलाधिकारी/सी0पी0ओ0 पी0डी0 के द्वारा अनुमोदित नोट शीट की छायाप्रति प्रमाण पत्र के साथ प्रत्येक माह की 23 तारीख तक उपलब्ध करा दी जाये। उक्त के साथ ही सितम्बर, 2021 माह में रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त हेतु प्रेषित समूहों के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में 01.10.2021 तक उपलब्ध कराया जाये।
3. वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में गठित समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने हेतु एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपडेट कर मिशन रोजगार हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न प्रारूप में तत्काल उपलब्ध कराये जाये।
4. स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु निर्धारित सेलर प्वाइन्ट लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी को निर्देश दिये गये कि उत्पादों को ऑनबोर्ड किये जाने की गुणवत्तापरक कार्यवाही की जाये। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग आदि की समीक्षा एवं बाजार संर्वेक्षण के अनुसार मूल्यों का निर्धारण भी

क्रमशः......2 पर

कराया जाये तथा डिलीवरी चार्ज को कम कराया जाये। स्वयं सहायता के उत्पादों के मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता एवं बेहतर पैकेजिंग हेतु समूहों को प्रशिक्षण दिया जाये, ताकि अच्छे परिणाम परिलक्षित हो सके।

5. भारत सरकार द्वारा पी0एम0एफ0एम0ई0 (प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग) योजना का शुभारम्भ विगत वर्ष से किया गया है तथा एन0यू0एल0एम0 के समूहों को समन्वयन के माध्यम से सीड कैपिटल से लाभान्वित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके दृष्टिगत् समूहों को लाभान्वित कराये जाने हेतु फूड प्रोसेसिंग कार्य में संलिप्त समूहों का सर्वेक्षण कर सूचीबद्ध कर लिया जाये तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार आवेदन कराया जाये।

6. फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग में विगत 1 वर्ष से कार्य कर रहे समूहों ही योजना से लाभ पाने हेतु अर्हं होगें। उक्त के साथ ही विपणन हेतु एफ0एस0एस0आई0 से लाईसेन्स भी दिलाना पड़ेगा, जिसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं परियोजना निदेशक से समन्वय कर लाईसेन्स की कार्यवाही करायी जाये।

7. माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग कार्य में संलिप्त स्वयं सहायता समूहों का सर्वेक्षण कर आगामी 04 दिवस के अन्दर सूची सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

8. स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं टास्क फोर्स की बैठक कराकर अधिक से अधिक आवेदन पत्रों को स्वीकृत कराकर बैंकों की शाखाओं में रोजगार मेले हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार उपलब्ध कराकर स्वीकृत कराया जाये तथा रोजगार मेला अवधि में स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण वितरण कराये जाये एवं स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट लिंकेज स्वीकृत कराया जाये।

9. रोजगार मेले में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को सेवायोजन कराने हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सियों को आमंत्रित कर अधिक से अधिक संख्या में सेवायोजित कराया जाये, जिससे लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):–</u>

अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा 100 Days Challenge की अवधि 50 दिवस बढ़ा दी गयी है। पी0पी0ए0, जिओ टैग, प्रथम किश्त एवं करटेलमेन्ट के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. योजना में धनराशि प्राप्त हो गयी है, जो भी पी0पी0ए0 सूडा स्तर पर लम्बित है, उनको शीघ्र ही धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। साथ ही जनपद स्तर पर लम्बित पी0पी0ए0 को तत्काल सूडा मुख्यालय प्रेषित कर दिया जाये।

2. जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी रूफ कास्ट की भौतिक प्रगति एवं भुवन पोर्टल पर उपलब्ध रूफ लेवल जिओ टैग में 42916 का अन्तर है, जिस पर तत्काल रूफ लेवल जिओ टैग पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

3. परियोजना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी पात्र लाभार्थी का जीरो लेवल जिओ टैग लम्बित न रहे तथा सभी पात्र लाभार्थियों के प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 प्रत्येक दशा में 07 दिवस में प्रेषित करें।

4. करटेलमेन्ट की डी0पी0आर0 आगामी 10 दिवस में अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः......3 पर

5. सी0एल0टी0सी0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी चरण के जिओ टैग का मॉडरेशन लम्बित न रहे अर्थात् जिओ टैग का प्रतिदिन मॉडरेशन किया जाये।

6. 100 Days Challenge को बढ़ाकर 150 Days Challenge कर दिया गया है। आगामी एक माह में कौन–कौन सी नगर निकायों को HFA Achieved कर लिया जायेगा तथा किन–किन परियोजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, उन सभी का विवरण परियोजना अधिकारी एवं सी0एल0टी0सी0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से 04 दिवस में उपलब्ध कराया जाये।

7. दिनांक 05–07 अक्टूबर, 2021 को होने वाले पी0एम0 कार्यक्रम में जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के लाभार्थी ही कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो। साथ ही स्थल पर इंटरनेट कनैक्टिविटी का विशेष ध्यान रखा जाये।

8. कानपुर नगर, ललितपुर एवं मुजफ्फरनगर (जानसठ) के लाभार्थियों से मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा संवाद किया जाना है, इन जनपदों के 03 और लाभार्थियों को चिन्हित कर स्टैण्डबाई मोड कर रखते हुए सम्बन्धित एन0आई0सी0 में उपस्थित रखने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त पी0एम0 संवाद हेतु चयनित लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं से आगामी तीन दिवस में जोड़ने के निर्देश दिये गये।

<u>पी0एम0 स्वनिधिः–</u>

पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत प्रगति के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. 01 से 09 अक्टूबर, 2021 के मध्य आयोजित हो रहे स्वनिधि से समृद्धि कैम्पों के प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति, जिसमें अन्य पांच विभागों के अधिकारी भी सदस्य हैं, की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित कर कैम्पों हेतु रणनीति बनायी जाये। बैठक की सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायें।

2. 01 से 09 अक्टूबर, 2021 के मध्य आयोजित हो रहे स्वनिधि से समृद्धि कैम्पों के प्रारम्भ होने से पूर्व मुख्य बैंकों बैठक आयोजित करके कैम्पों हेतु रणनीति तैयार कर लें, क्योंकि 08 योजनाओं में से 03 योजनाओं में बैंकों द्वारा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। बैठक की सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायें।

3. विगत माह में 01 से 06 सितम्बर, 2021 को आयोजित हुए स्वनिधि समृद्धि कैम्पों में मेरठ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, आगरा द्वारा कोई प्रगति नहीं की गयी। समस्त 14 शहरों को निर्देशित किया गया कि 01 से 09 अक्टूबर, 2021 के मध्य आयोजित होने वाले कैम्पों में वेण्डर्स के परिवार के सदस्यों की शत–प्रतिशत प्रोफाइलिंग कर ली जाये एवं मुख्यालय के पत्रांक–2195 दिनांक 29.09.2021 द्वारा कैम्प हेतु जारी निर्देश एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित की जाये। कैम्पों के दौरान स्विगी एवं जमैटो के स्थानीय प्रतिनिधि से सम्पर्क कर फूड वेण्डर को ऑनबोर्ड कराया जाये।

4. मार्च, 2022 तक आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष ऋण वितरण में 5 न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले नगर निगम शहर यथा–गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद एवं मुरादाबाद को निर्देशित किया गया कि ऋण वितरण में यथाशीघ्र तेजी लाये, जाकि ससमय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

क्रमशः......4 पर

5. मार्च, 2022 तक आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष ऋण वितरण में 10 न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जनपद यथा–गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बरेली, कुशीनगर, मेरठ, चन्दौली, बाराबंकी, मथुरा एवं बलिया को निर्देशित किया गया कि ऋण वितरण में यथाशीघ्र तेजी लाये, जाकि ससमय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

6. रिटर्न बाय बैंक लम्बित कुल 88486 आवेदन पत्रों में सबसे ज्यादा लम्बित आवेदन पत्रों वाले 10 जनपद यथा–प्रयागराज–4411, मेरठ–3777, अयोध्या–3222, फिरोजाबाद–3137, गाजियाबाद–3059, मथुरा–2825, मुरादाबाद–2602, कानपुर नगर–2219, गोरखपुर–1870 एवं शाहजहांपुर–1729 को निर्देशित किया गया कि आगामी सप्ताह तक रिटर्न बाय बैंक लम्बित आवेदनों को निस्तारित किया जाये।

7. बैंकों द्वारा लो सिबिल स्कोर के आधार पर जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है, उन आवेदनों को बैंको पुनः प्रेषित कर उनको स्वीकृत करायें।

8. 36 जनपदों के 43 नगर निकायों में डिजिटल ऑनबोर्डिंग एवं ट्रेनिंग के विशेष अभियान के तहत निर्गत निर्देश एवं लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों द्वारा उपलब्ध करायी गयी साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार वेण्डर्स के डिजीटल ऑनबोर्डिंग एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(यशु रूस्तगी)
निदेशक

संख्याः–2311 / 03 / 29 / HFA-DPR / PMC-Vol-VIII / 2021–22 दिनांकः– 06 अक्टूबर, 2021

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. सहायक निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
3. परियोजना अधिकारी, एन0यू0एल0एम0, सूडा, लखनऊ।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0।
5. समस्त एस0एल0टी0सी0, पी0एम0ए0वाई0(यू), सूडा।
6. समस्त एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
7. समस्त सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर, डूडा, उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

06-10-2021

(यशु रूस्तगी)
निदेशक